

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

स0आ0 :-2/अ०प्र०-1-76/24

2887 /पटना, दिनांक :- 18.06.24

श्री मनीष कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया को अररिया जिला के सिकटी प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क प्रोजेक्ट योजना-2 अन्तर्गत वर्ष 2020-21 (बैच-1) में T05-Nepal Border Jhala Chowk to Jakirparas Last Border पथ के चैनेज 33.20km (package No-BR-01P2R-49) पर बकरा नदी पर निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण गुणवत्तापूर्ण नहीं किये जाने के लिए विभागीय कार्यालय आदेश सं0-30-सह-पठित ज्ञापांक 1868 दिनांक 18.06.2024 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रश्नगत पुल का जॉच प्रतिवेदन दिनांक 30.07.2024 उपलब्ध कराया गया। जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र के गठन के लिए मामले में कुछ अन्य बिन्दुओं पर भी जॉच की आवश्यकता है। इस आलोक में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने में समय लगने एवं इस आलोक में आरोप पत्र के गठन में विलम्ब होने की संभावना के कारण श्री कुमार के निलंबन आदेश को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(7) के तहत निलंबित किये जाने की तिथि 18.06.2024 से तीन माह की अवधि की समाप्ति की तिथि के प्रभाव से अगले चार माह की अवधि के लिए विस्तारित किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

(डॉ फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

१५८०१४

७१

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक:- २/अ०प्र०-१-७६/२४ २८८७ /पटना, दिनांक:- १४. ११. २४ /
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा
निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, अररिया/गया को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ १५८०१४
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- २/अ०प्र०-१-७६/२४ २८८७ /पटना/दिनांक:- १४. ११. २४
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/
अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य
विभाग के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण
कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य
ग्रामीण कार्य विभाग/श्री मनीष कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य
ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया का कार्यालय को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ १५८०१४
संयुक्त सचिव